( )

15/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प खैरूला में पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता एवं सहखातेदार रामावतार उपस्थित। वादीगण ने निवेदन किया कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 96/1 रकबा 1.00 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम विनोद, निर्भयशंकर मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी दुरूस्त कर विनोद, निर्भयशंकर पुत्र देवलाल मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी दर्ज किया जावें। मजमे आम में प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। वादीगण द्वारा वांछित रिलीफ के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार रामावतार ने मजमे आम में उपस्थित होकर वादीगण द्वारा चाही गई रिलीफ पर सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर सहमति अंकित की तथा वादीगण का वाद डिक्री किये जानें का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खैरूला, छायाप्रति आधार कार्ड निर्भय शंकर एवं विनोद कुमार तथा शपथ पत्रों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 96/1 रकबा 1.00 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण का नाम विनोद, निर्भयशंकर मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी के

विनोद एवं निर्भयशंकर का वास्तविक पिता देवलाल जी है। तथा दोनो मुकुट बिहारी के गोद लिए है। इसलिए विनोद एवं निर्भयशंकर पुत्र देवलाल मुतबन्ना मुकुट बिहारी दर्ज करने मे मेरी सहमति है। रामावतार

निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	स्थान पर विनोद, निर्भयशंकर पुत्र देवलाल मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner

नम्बर व ता...
अहकाम जो ...
हुक्म की तामील ...
जारी हुए

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खैरूला

उनवान

1. विनोद कुमार सेन पुत्र देवलाल
2. निर्भय शंकर पुत्र देवलाल जाति नाई निवासीगण सनीजा बावडी तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 32/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 96/1 रकबा 1.00 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण का नाम विनोद, निर्भयशंकर मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी के स्थान पर विनोद, निर्भयशंकर पुत्र देवलाल मुतबन्ना पुत्र मुकुट बिहारी दर्ज किया जावें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प खैरूला में जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(लि0 आ0 ...)

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner